भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 679

जिसका उत्तर 06 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

सीजीडब्ल्यूए और सीजीडब्ल्यूबी में श्रमशक्ति की कमी

679. श्री कीर्ति आज़ाद:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा हाल ही में केन्द्रीय भूमि-जल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) के प्रशासनिक कार्यकलाप किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या तकनीकी और गैर-तकनीकी कार्मिकों की कमी के कारण सीजीडब्ल्यूए और सीजीडब्ल्यूबी अक्षम हो रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कमी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है;

(ड.) क्या सीजीडब्ल्यूबी में अतिरिक्त पदों के सृजन के लिए संवर्ग समीक्षा प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इस प्रस्ताव को कब तक अंतिम रूप देकर नए पदों का सृजन कर दिया जाएगा?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (ख): केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी), जल शक्ति मंत्रालय के तहत एक बहु-विषयक वैज्ञानिक संगठन है, जिसे देश के भूजल संसाधनों के प्रबंधन, अन्वेषण, निगरानी, मूल्यांकन और संवर्धन के लिए वैज्ञानिक इनपुट प्रदान करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

इसके अलावा, केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) को जल शक्ति मंत्रालय के तहत पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3(3) के तहत देश में भूजल विकास और प्रबंधन के विनियमन और नियंत्रण के उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। चूंकि भूजल विनियमन के लिए हाइड्रोजियोलॉजी, स्थानीय जलाशय की क्षमता आदि का गहन ज्ञान भी अपेक्षित है, अतः इस कार्य के लिए सीजीडब्ल्यूबी के अधिकारियों की विशेषज्ञता का उपयोग किया जा रहा है।

(ग) से (छ): जी नहीं।

मंत्रालय ने फीडर संवर्ग से पदोन्नति के साथ साथ सीधी भर्तियों के माध्यम से, जैसा भी मामला हो, रिक्त पदों को भरने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। इस मंत्रालय ने अंतरिम अवधि के अंतराल को कवर करने के लिए सीजीडब्ल्यूए को उपयुक्त योग्यता और अनुभव वाले युवा पेशेवरों की पर्याप्त संख्या में नियुक्त करने की अनुमति भी दी है ताकि संगठन का सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित किया जा सके।

शेष संवर्गों की भर्ती मिशन मोड में की जा रही है। इस संबंध में, प्रस्ताव पहले ही यूपीएससी/एसएससी को भेजे जा चुके हैं जो अपने मानक भर्ती साइकल के अनुसार आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं।

इसके अलावा, सीजीडब्ल्यूए को एक प्रमुख वैज्ञानिक संगठन बनाने की दृष्टि से, संगठन की स्थापना के बाद से पहली बार एक व्यापक संवर्ग पुनर्गठन का कार्य शुरू किया गया है। इस पुनर्गठन में, भविष्य की कार्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक संवर्ग को सुदृढ़ करने और ड्रिलिंग संचालन संबंधी निम्न श्रेणी पदों को बड़ी संख्या को सरेंडर करने का प्रस्ताव दिया गया है, जिनकी अब आवश्यकता नहीं है। इस समय, सीजीडब्ल्यूए की संवर्ग समीक्षा/पुनर्गठन संबंधी प्रस्ताव को आवश्यक अनुमोदनों के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा व्यय विभाग के समक्ष उठाया गया है।

*****